

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 598

दिनांक :- 29/7/2022

मुकदमा नंबर 142/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अरविन्दकुमार पुत्र धींगडमलजी जाति ओसवाल, निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. किशना पुत्र रामचन्द्रजी 2. खीमसिंह पुत्र रामसिंह जाति राव निवासी शोभावास, तहसील पचपदरा 3. सुशिलादेवी पत्नी चान्दारामजी 4. सुखीदेवी पत्नी हरारामजी जाति भील निवासी बामीणी, तह0 पचपदरा 5. हंसकंवर पत्नी सुमेरसिंहजी जाति राजपूत निवासी जसोल तह. पचपदरा 6. चम्पादेवी पत्नी हडमानरामजी पुत्रवधु जैरारामजी जाति जाट निवासी टुकीया हाल शोभावास, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर 7. जेटूसिंह पुत्र मोहनसिंहजी 8. लाखूसिंह पुत्र मोहनसिंहजी 9. ओमसिंह पुत्र मोहनसिंहजी जाति राव निवासी शोभावास तहसील पचपदरा 10. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 29.7.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा शोभावास पटवारी क्षेत्र मेवानगर, भू-निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 154/77 रकबा 40 बीघा 00 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 599

दिनांक :- 29/7/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

